न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 81/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
01. अशोकदान पुत्र वेजदान जाति चारण निवासी गैस गौदाम के पास रेन्दडी रोड सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0		01. रतनदान पुत्र वेजदान जाति चारण निवासी गैस गौदाम के पास रेन्दडी रोड सोजत सिटी 02. तहसीलदार भूमि धारक सोजत तहसील सोजत जिला पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

2. श्री राजेन्द्र दवे अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित

उप खण्ड अधिकारी ... जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– **दिनांक** 01/08/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील सोजत के वर्तमान ,खाता संख्या 58 के खसरा नम्बर 1304/ 3 रकबा 0.0700 हैक्टर , खसरा नम्बर 1305/3 रकबा 0.0680 हैक्टर, खसरा नम्बर 1328/2 रकबा 0.1480 है0 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.2860 है0 की भूमि प्रार्थी के एकमात्र खातेदारी कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि में से ख.नं. 1304/3 रकबा 0.0700 है0 की भूमि वादरथ हैं तथा उक्त भूमि चिपते ख.नं. 1304/4 रकबा 0.0700 है0 की भूमि अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की आई हुई स्थित हैं। ख.नं. 1304/3 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य आये दिन सीमाकंन/पत्थरगढी के अभाव में सीमाओं व धोरा पाली को लेकर मनमुटाव होता रहता हैं व विवाद की संभावना बनी रहती हैं। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सोजत के समक्ष भी अपनी कृषि भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन किया गया। किन्तु मौके पर विवाद का हवाला देते हुए सीमाकंन करना संभव नहीं होना अंकित करते हुए रिपोर्ट पेश की। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के ख.नं. 1304/3 रकबा 0.0700 है0 के मौके पर सीमाकंन कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मौजा सोजत द्वितीय के ख.नं. 1304/3, 1305/3, 1328/2 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.2860 है0 प्रार्थी की एकमात्र भूमि नहीं हैं। उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी सं0 1 की माता के नाम दर्ज थी। जिसका प्रार्थी ने फर्जी व कूटरचित वशीयतनामा अपने पक्ष में निष्पादित करवा कर गलत तरीके से नामा0 दर्ज करवा दिया। उक्त वशीयतनामा को निरस्त करवाने हेतु वाद सिविल न्यायाधीश महोदय, सोजत के न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं और इसकी अपील अपर जिला एवं सत्र न्यायालय सोजत में पेश की हुई हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 को लेकर मौके पर पूर्णरूप विवाद हैं। प्रार्थी पत्थरगढ़ी व सीमांकन की आड़ में अप्रार्थी को बेदखल करना चाहता हैं। ख.नं. 1304/3 मौके पर संयुक्त कब्जे की सम्पति हैं। जिसका उपयोग प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 संयुक्त रूप से

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

करते आ रहे हैं। इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

बहस वकुलाया सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी अपनी कृषि भूमि का सीमांकन करवाना चाहता हैं। प्रार्थी की कृषि भूमि व पड़ौसी खातेदार की कृषि भूमि की माडो को लेकर विवाद होता रहता हैं, जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि की सीमाओ का ज्ञान कर पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे मौके पर विवाद खत्म हो सके। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि ख.नं. 1304/3 की भूमि संयुक्त कब्जे की सम्पति हैं। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थी सं0 1 को बेदखल करना चाहता हैं। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सिमांकन कर पत्थरगढी के जरिये मुटाम कायम कायम करवाना चाहते है जिसका उन्है विधिक अधिकार प्राप्त है। लिहाजा यदि प्रार्थीत भूमि में किसी भी न्यायालय का स्थगन प्रभावी न हो तो लिहाजा सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील सोजत के वर्तमान ,खाता संख्या 58 के खसरा नम्बर 1304/ 3 रकबा 0.0700 हैक्टर की भूमि में पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाया जाकर सीमाज्ञान तारबंदी मुटाम लगवाये जाने तथा मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवांई जाने की पालना किये जाने हेतु आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेशः–

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 58 के खसरा नम्बर 1304/ 3 रकबा 0.0700 हैक्टर कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 01/08/2024 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)